उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-103/2018/1165/92-2-18-14जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक 06 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय परिसर में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-66/2016/46मं0आ0/92-2-16-14जांच/16 दिनांक 20-10-2016 द्वारा श्री बृजेश कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के विरूद् उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-31/2017/18/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 28-2-2017 के द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। पुन: सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-75/2017/770/92-2-17-14जांच/16 दि0 18-05-2017 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1164 दिनांक 24-08-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री बृजेश कुमार दूबे पर अधिरोपित कुल 6 आरोपों में से आरोप सं0-1, 4, 5 व 6 सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 05-10-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 09-11-2017 उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 20-10-2016 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री बृजेश कुमार दूबे तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बाराबंकी को परिनिन्दा का दण्ड देते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-39/2018/458/92-2-16-14जांच/ 2016 दिनांक 22-02-2018 द्वारा समाप्त कर दी गयी।

3- उक्त के संबंध में श्री बृजेश कुमार दूबे द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 03-05-2018 को प्रस्तुत करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-39/2018/458/92-2-16-14जांच/2016 दिनांक 22-02-2018 द्वारा दिये गये परिनिन्दा दण्ड को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है। श्री बृजेश कुमार दूबे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा अपने प्रत्यावेदन में किसी ऐसे नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया जिससे शासन द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक22-02-2018 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। अतएव श्री बृजेश कुमार दूबे अधिशासी अभियंता के प्रत्यावेदन दिनांक 03-05-2018 को बलहीन पाये जाने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-103/2018/1165(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बृजेश कुमार दूबे तत्क0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,मुख्यालय द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।